न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस)

प्रकरण संख्या 1/2025

बउनवान

सरकार जर्ये संतोष कुमार मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक, (बारां) (प्रार्थी)

बनाम

श्री देवेन्द्र गालव पुत्र द्वारका लाल, निवासी छबड़ा जिला बारां

(अप्रार्थी)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6(ए) के तहत

उपस्थिति :– 1. पेरोकार रसद (प्रार्थी)

2. संजय नागर एडवोकेट (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 04.06.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 17.01.2025 को घरेलू गैस सिलेण्डरों के बढते व्यावसायिक दुरूपयोग की शिकायत के क्रम में प्रार्थी श्री सन्तोष कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक, बारां महाकाल एलाइनमेंट गूगौर रोड़ छबड़ा पहुंचे। मौके पर देवेन्द्र गालव पुत्र द्वारका लाल, निवासी छबड़ा, उपस्थित मिले जिनके सामने जांच की गई। जांच में मौके पर घरेलु गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग किया जाना पाया गया। मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर का पेट्रोलियम गैस (वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के भाग 3 के बिन्दु संख्या 3,4,5 व 7 का उल्लंघन पाये जाने पर एक घरेलू गैस सिलेण्डर व एक इलेक्ट्रोनिक रिफलिंग मशीन मौके पर जब्त सरकार कर रूबरू मैसर्स निधि एचपी गैस सेन्टर छबड़ा की सुपुर्दगी में दिया जाकर सुपुर्दगीनामा लिखा गया। अतः उपरोक्तानुसार जब्तशुदा गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात की कार्यवाही कर निस्तारण फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6(बी) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुआ तथा अप्रार्थी की ओर से जर्ये अभिभाषक जवाब इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी छबड़ा में महाकाल एलाईमेनट एण्ड मैकेनिकल स्टोर के नाम एक रिपेरिंग दुकान का संचालन करता है तथा प्रार्थी की दुकान पर मरम्मत हेतु आयी हुई मशीन 0.5 एचपी को जांचकर्ता द्वारा प्रार्थी की मानकर एवं प्रार्थी द्वारा अपने खाली घरेलू गैस टंकी को भरवाने हेतु रखे गये गैस सिलेण्डर को व्यवसायिक उपयोग का गलत रूप से मानते हुए उक्त कार्यवाही करके यह नोटिस दिलवाया गया है जबकि उक्त मशीन प्रार्थी उत्तरदाता की दुकान पर मरम्मत हेतु आयी थी तथा खाली घरेलू गैस सिलेण्डर को भरवाने हेतु दुकान पर रखा हुआ था जिसे प्रार्थी को शाम को घर ले जाना था। इसलिये प्रार्थी के विरूद्ध की गयी उपरोक्त कार्यवाही निरस्त किया जाकर प्रार्थी को खाली गैस सिलेण्डर व अनुपयोगी खराब मशीन को लौटाया जाने का आदेश फरमाया जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पेरोकार रसद एवं अप्रार्थी अभिभाषक की सुनी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.07.01 10:57:49 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

दौराने बहस पेरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी ने घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग कर राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियत्रंण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का उल्लंघन किया है। अतः जब्तशुदा एक गैस सिलेण्डर व इलेक्ट्रोनिक रिफलिंग मशीन को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात किये जाने के आदेश फरमावें।

दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जब्तशुदा मशीन प्रार्थी की दुकान पर मरम्मत हेतु आयी थी तथा घर का खाली घरेलू गैस सिलेण्डर भरवाने हेतु दुकान पर रखा था जिसे प्रार्थी को शाम को भरवाकर घर ले जाना था। इसलिये प्रार्थी के विरूद्ध की गयी उपरोक्त कार्यवाही को निरस्त किया जाकर प्रार्थी को खाली गैस सिलेण्डर व अनुपयोगी खराब मशीन को लौटाया जाने का आदेश फरमाया जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया हम बहस के दौरान प्रार्थी द्वारा दी गई दलीलों से पूर्णतया सहमत हैं तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर, जिला रसद अधिकारी, बारां को निर्देश दिये जाते है कि जप्तशुदा HPCL गैस सिलेण्डर नम्बर 811582 का उपयोग व्यावसायिक कार्य हेतु किया गया है, इसलिये अप्रार्थी/सुपुर्दगीदार से जप्तशुदा गैस सिलेण्डर की सिक्योरिटी राशि मय जुर्माना राशि प्रति गैस सिलेण्डर 2500/– रूपये यानि एक गैस सिलेण्डर की कुल 2500/– रूपये लिये जाकर जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर को वापस लौटाया जावे। यदि अप्रार्थी जप्तशुदा गैस सिलेण्डर को उक्तानुसार राशि जमा करवा कर वापस नही लेता है तो अप्रार्थी से व्यवसायिक गैस की दर से घरेलू गैस सिलेण्डर की अन्तर राशि नियमानुसार प्राप्त करें एवं प्राकृतिक गैस विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 22.6.07 द्वारा राज्य सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर के प्रदत्त निर्देशानुसार उक्त जप्तशुदा गैस सिलेण्डर को संचालक मैसर्स निधि एचपी गैस सेन्टर छबड़ा को कीमत पर दिया जावे तथा जप्तशुदा रिफलिंग मशीन को खुली नीलामी में नीलाम करें और उक्तानुसार प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवायी जावें।

निर्णय आज दिनांक 04.06.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.07.01 10:57:49 IST
Reason: SelfAttested